संख्या- 32/2021/865/33-3-2021-43/2010टी०सी०

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनाँकः 22 मई, 2021**

विषयः- ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के संघटन एवं संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-709/रा.नि.आ.अनु-3/पं0नि0/20-21/2021,दिनाँक 26.3.2021 के अनुपालन में ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। ग्राम पंचायतों के संघटन, निर्वाचित सदस्यों व प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण व ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के सम्बन्ध में समय-सारिणी संलग्नक-1 पर है।

(1) ग्राम पंचायतों का संघटन-

चुनाव पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम पंचायतों को संघटित करने की अधिसूचना जारी किया जाना है। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा-12 की उप धारा-3 के खण्ड (घ) में इस विषय पर निम्नलिखित प्रावधान है :- ''ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत की जाए और तदोपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक रूप से संघटित समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो, प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संघटन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाए।''

उक्त विषय पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधान और उप प्रधानों की निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम-58 में निम्नलिखित प्रावधान है : -

''(1) जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई स्थान और प्रधान का पद भर जाये, जिला मजिस्ट्रेट यह विज्ञाप्ति करेगा कि ग्राम पंचायत यथाविधि संघटित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना में सदस्यों और प्रधान के नाम होंगे। इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में चिपका कर इसे प्रकाशित किया जाएगा। एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री को भी भेजी जाएगी।''

उक्त अधिसूचना का हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अपने जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों को, जिनके प्रधान और कम से कम 2 तिहाई सदस्य निर्वाचित हुये हो, के संघटन की अधिसूचना दिनाँक 24 मई, 2021 (सोमवार) तक अनिवार्य रूप से जारी करना सुनिश्चित करें।

2- प्रधानों एवं सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण :

(1) ग्राम पंचायत के संघटन के पश्चात, संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने पद की शपथ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान, पंच, सरपंच, सहायक सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य पद की शपथ) नियमावली, 1994 के नियम संख्या-3 के प्राविधानों के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा नियत समय व स्थान पर ली जायेगी। साथ ही संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12ड.(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्वाचित प्रधानों एवं सदस्यों को विहित रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा-12 ड.(2) में यह स्पष्ट प्राविधान है कि ''किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करने पर यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।''

(2) शपथ लेने हेतु नियत प्रारूप संलग्न करते हुए अपेक्षा की जाती है कि शपथ के लिए स्थान एवं समय का निर्धारण करते हुए सम्बन्धित प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ ग्रहण स्थल, तिथि तथा समय की पर्याप्त समय पूर्व सूचना अवश्य दे दी जाए। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत नव निर्वाचित 58176 ग्राम प्रधान व 731813 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को विकास खण्ड में एक साथ आमंत्रित कर शपथ दिलाने की कार्यवाही उचित नहीं होगी । अत: सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारीगण द्वारा नामित अधिकारीगण जनपद में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यगण को वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से दिनांक 25-05-2021 एवं 26-05-2021 को ग्राम पंचायतवार शपथ ग्रहण की व्यवस्था करेंगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यगण अपने-अपने ग्राम पंचायत में ही शपथ ग्रहण जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारियों के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल रूप में ले सकेंगें । शपथ ग्रहण पंचायत घर ,सामुदायिक भवन अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेण्टर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जायेगा | ग्राम पंचायत सचिवगण द्वारा लैपटॉप आदि (इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ) व्यवस्था में सहयोग किया जायेगा | शपथ-पत्र की पर्याप्त प्रतियां साइक्लोस्टाईल/ मुद्रित करा ली जाय। शपथ ग्रहण के पश्चात हस्ताक्षरयुक्त शपथ-पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायत के प्रधानों के शपथ-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के शपथ-पत्र खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने हेतु सौंप दिये जायेंगे ।

(3) उक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्रों जैसे प्रचार माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शपथ ग्रहण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

(5) अत: समस्त संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों को दिनाँक 25 मई, 2021 से 26 मई, 2021 तक शपथ दिलाना सुनिश्चित कराते हुए विलम्बतम् दिनाँक 27 मई, 2021 की सायंकाल तक निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

"जनपद की कुल..................ग्राम पंचायतों में से.........................ग्राम पंचायतों को संघटित करते हुए उनके समस्त प्रधानों तथा सदस्यों को नियमानुसार शपथ दिलायी जा चुकी है।"

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों को संघटित करने एवं प्रधान एवं सदस्यों को शपथ दिलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशु धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक:-1

सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के संघटन, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण तथा ग्राम पचांयत के प्रथम बैठक की समय-सारिणी

क्रम सं0	कार्यवाही	समय सारणी
1.	ग्राम पंचायतों को संघटित करने की अधिसूचना जिलाधिकारी द्वारा निर्गत करना।	24.5.2021 तक (सोमवार)
2.	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण की कार्यवाही।	25.5.2021 से 26.5.2021 (मंगलवार-बुधवार)
3	नव गठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक की तिथि	27.5.20201 (बृहस्पतिवार)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021</u>

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जनपद...........................

संख्या: **दिनांक**

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26 सन् 1947) की धारा-12 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 58 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं..........................जिला मजिस्ट्रेट, जनपद...................... की ग्राम पंचायत...................., जिसके प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य निम्नलिखित हैं, के यथा विधि संघटन को अधिसूचित करता हूँ :-

1. श्री/श्रीमती...प्रधान
2. श्री/श्रीमती...सदस्य
3. श्री/श्रीमती...सदस्य
4. श्री/श्रीमती...सदस्य
5. श्री/श्रीमती...सदस्य
6. श्री/श्रीमती...सदस्य
7. श्री/श्रीमती...सदस्य
8. श्री/श्रीमती...सदस्य
9. श्री/श्रीमती...सदस्य
10. श्री/श्रीमती...सदस्य
11. श्री/श्रीमती...सदस्य
12. श्री/श्रीमती...सदस्य
13. श्री/श्रीमती...सदस्य
14. श्री/श्रीमती...सदस्य
15. श्री/श्रीमती...सदस्य
16. श्री/श्रीमती...सदस्य

मैं यह भी आदेश देता हूँ कि इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संबंधित सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय पर चिपकायी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिलिपि-सचिव, सम्बन्धित ग्राम पंचायत।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

General Panchayat Election-2021

NOTIFICATION

No. :
Dated :

In exercise of the powers under clause (d) of sub-section (3) of section 12 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act. No. 26 of 1947) read with rule 58 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Election of Members, Pradhans and Up-Pradhans) Rules, 1994, I..(Name of the District Magistrate concerned) District Magistrate of the District of............... ....(Name of the District concerned) notify that the.................................. (Name of the Gram Panchayat) Gram Panchayat has been duly constituted, the Pradhan and the other members where of are as follows :

1. Sri / Smt. ....Pradhan
2. Sri / Smt. ....Member
3. Sri / Smt. ....Member
4. Sri / Smt. ....Member
5. Sri / Smt. ....Member
6. Sri / Smt. ....Member
7. Sri / Smt. ....Member
8. Sri / Smt. ....Member
9. Sri / Smt. ....Member
10. Sri / Smt. ....Member
11. Sri / Smt. ....Member
12. Sri / Smt. ....Member
13. Sri / Smt. ....Member
14. Sri / Smt. ....Member
15. Sri / Smt. ....Member
16. Sri / Smt. ....Member

2- I also order that copy of this notification shall be affixed at the office of the Assistant Development Officer (Panchayat).

District Magistrate
Copy to the Secretary of the Gram Panchayat concerned

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021</u>

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं..(नाम)..ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्य रखूँगा और मैं ग्राम पंचायत........................के प्रधान/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अत: ईश्वर मुझे सामथ्र्य दें।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।